सत्र प्रकरण का निर्णय का शीर्षक

प्रपत्र–क

न्यायालयः– अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, गया **व्यवहार न्यायालय, गया**	
उपस्थित	**शशि कांत ओझा** **अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, गया।**
निर्णय की तिथि	**20.04.2026**
सत्र प्रकरण सं0	512 / 2016
जी0 आर0 नम्बर	800 / 2014
वजीरगंज थाना कांड सं0	80 / 2014
सूचक	राज्य सरकार द्वारा सूचक विनोद कुमार यादव
अभियोजन की तरफ से	श्री नरेन्द्र प्रसाद गुप्ता, अपर लोक अभियोजक
अभियुक्त का नाम	1. भरत साव, पिता–रमेश्वर साव, ग्राम–मस्तलीपुर, थाना–मुफसील, जिला, गया।
अभियुक्त की तरफ से	श्री संजय कुमार, अधिवक्ता

प्रपत्र–ख

घटना की तिथि	17.02.2014
प्राथमिकी दर्ज करने की तिथि एवं अंर्तगत धारा	17.02.2014, धारा–395 भा0 द0 वी0।
आरोप–पत्र समर्पित करने की तिथि एवं अंर्तगत धारा	02.09.2016, धारा–395 एवं 412 भा0 द0 वि0
संज्ञान लेने की तिथि एवं अंर्तगत धारा	06.09.2016, धारा–395 एवं 412 भा0 द0 वि0
आरोप गठण करने की तिथि एवं अंर्तगत धारा	09.12.2016, धारा–395 एवं 412 भा0 द0 वि0
प्रथम गवाह प्रस्तुत करने की तिथि	04.12.2025
बयान दर्ज करने की तिथि	17.04.2026
निर्णय हेतु रखने की तिथि	20.04.2026
निर्णय की तिथि	**20.04.2026**
सजा के बिंदु पर सुनवाई की तिथि	N.A.

अभियुक्त का विवरण

क्र0 सं0	**अभियुक्त का नाम**	**गिरफतारी की तिथि**	**जमानत पर मुक्ति की तिथि**	**जिन अपराधों का आरोप बनाया गया**	**चाहे दोषमुक्त हो या दोषी**	**सजा सुनाई गई**	**धारा 428 के प्रयोजन के लिए परीक्षण के दौराण निर्धारण की अवधि**
01.	**भरत साव**	**03.07.2016**	**22.11.2016**	**धारा–395 एवं 412 भा0 द0 वि0**	**दोषमुक्त**	**N.A**	**N.A**

निर्णय

1. उपरोक्त नामित अभियुक्त भरत साव प्रस्तुत प्रकरण में धारा–395 एवं 412 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत विचारण का सामना कर रहे हैं।

2. प्रस्तुत प्रकरण के अशोक कुमार के लिखित आवेदन के अनुसार अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि सूचक स्टेट बैंक ग्राहक सेवा केन्द्र, बरतारा का प्रभारी थे और दिनांक 17.02.2014 को समय करीब 13 बजे अपने सहकर्मी एवं साझेदार गोरेलाला यादव के साथ ग्राहक केन्द्र बरतारा से पैसा निकासी कर लाने हेतु प्रस्थान किया और करीब 15 बजे भारतीय स्टेट बैंक शाखा मानपुर पहूँचा तथा 1,80,000/– जिसमें सभी नोट 500/– रूपये एवं 1,000/– रूपये के थे। उसके बाद ये अपने मोटरसाईकिल BR-2F-7451 से गोरे लाल को साथ लेकर चला तथा रास्ते में एजेन्ट गौरी शंकर प्रसाद को मानपुर थाना के नरायणनगर के समीप 15,000/– रूपये बतौर निजी किस्त जमा करने हेतु दिया तथा शेष बचे पैसा लेकर वहां से ग्राहक सेवा केन्द्र के लिए प्रस्थान किया और परोरिया बाजार पहूँचकर थोड़ी देर रूका तथा प्रिया इलेक्ट्रोनिक परोरिया से एयरटेल का बकाया 3310/– रूपया वसुल किया। इसके बाद ये दोनों बरतारा के लिए प्रस्थान किया और जैसे हीं परसावां मोड़ एवं भदान मोड़ के पास पहूँचे तो इनके समानान्तर दो मोटरसाईकिल पर तीन–तीन की संख्या में कुल 6 सवार चलने लगे। भदान मोड़ से करीब 50 मीटर पहले चलती गाड़ी में एक मोटसाईकिल सवार व्यक्ति सचूक का जैकेट पकड़ खिंचने लगा तब इन्होने ने अपना मोटरसाईकिल रोक दिया और दूसरा मोटरसाईकिल सवार थोड़ी दुरी करीब 10 मीटर पर मोटरसाईकिल बढ़ाकर पिछे लौटा तथा इन्हे रोक दिया और इनके मोटरसाईकिल का चाभी निकाल लिया तो मोटरसाईकिल बंद हो गया। दोनों मोटरसाईकल से दो–दो सवार अपने हाथें में पिस्टल लेकर उतरे तथा सूचक एवं गोरे लाल की कनपटटी में पिस्टल सटा दिया तथा एक व्यक्ति गोरेलाल यादव को मारपीट करने लगा जिससे जमीन पर गिर गये। दूसरा व्यक्ति इनके फुलपैंट के दोनों पैकेट से पचास–पचास हजार रूपये का एक–एक बंडल तथा सूचक के जैकेट के दाहिने पैकेट में रखे कुल 65000/– हजार लूट लिया एवं इनके साथ रहे गोरेलाल यादव से भी 8000/– रूपया एवं एक नोकिया कंपनी का मोबाईल पैकेट से मॉडल नम्बर 1110 लुट लिया और इन दोनों से कुल 1,73,000/– रूपया एवं मोबाईल लूट लिया। भादान मोड़ के कुछ लोग दौड़े तो लुटेरे मोटरसाईकिल से लोग भाग गये।

3. सूचक के आवेदन के आधार पर वजीरगंज (टनकुप्पा) थाना कांड संख्या–80/2014, दिनांक 17.02.2014 अन्तर्गत धारा–395 भा0 द0 वि0 अभियुक्त भरत साव के विरूद्ध दर्ज किया गया।

4. प्रस्तुत प्रकरण के अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधानोपरांत इस प्रकरण के अभियुक्त भरत साव के विरूद्ध घटना को सत्य पाते हुए पूरक आरोप–पत्र संख्या – 86/2016, दिनांक–02.09.2016 अन्तर्गत धारा–395 एवं 412 भा0 द0 वि0 में समर्पित किया गया। तत्पश्चात् अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम, गया द्वारा दिनांक 06.09.2016 को उपरोक्त आरोप–पत्रित अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत अपराध का संज्ञान लिया गया तथा तत्पश्चात् दिनांक–18.10.2016 को अभियुक्त भरत साव के मामले को विचारण हेतु श्रीमान् सत्र न्यायाधीश, गया के न्यायालय में दौरा–सुपुर्द किया गया।

5. दिनांक 09.12.2016 को अभियुक्त भरत साव के विरूद्ध धारा–395 एवं 412 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत आरोप का गठन किया गया एवं आरोप की विशिष्टियों को अभियुक्त को हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया जिसपर अभियुक्त ने अपने–आप को निर्दोष बताया एवं वाद–विचारण का दावा किया।

6. विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गया द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.10.2020 के आलोक में प्रकरण का अभिलेख इस न्यायालय में विचारण एवं निष्पादन हेतु प्राप्त हुआ।

7. दिनांक–17.04.2026 को अभियुक्त भरत साव का धारा – 313 द0 प्र0 स0 के अन्तर्गत बयान दर्ज किया गया जिसमें अभियुक्त ने अपने–आप को निर्दोष बताया एवं कथन किया कि उसे इस मामले में झूठा फॅसाया गया है।

8. अब न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष, अभियुक्त के विरूद्ध गठित आरोपों को युक्ति–युक्त संदेहों के परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नही?

<u>मन्तव्य</u>

9. अभियोजन द्वारा अपने मामले के समर्थन में मात्र 05 अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य न्यायालय के समक्ष लिपिबद्ध कराया गया है जो कि निम्नांकित हैं : –

अभियोजन साक्षी संख्या – 1 :– छोटु कुमार उर्फ अभिषेक कुमार सिंह

अभियोजन साक्षी संख्या – 2 :– कन्हैया कुमार सिंह

अभियोजन साक्षी संख्या – 3 :– सत्येन्द्र कुमार सिंह

अभियोजन साक्षी संख्या – 4 :– गोरेलाल यादव

अभियोजन साक्षी संख्या – 5 :– अशोक कुमार (सूचक)

अभियोजन की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में दस्तावेज को प्रदर्श अंकित कराया गया जो कि निम्नांकित हैं : –

प्रदर्शः–1– प्राथमिकी आवेदन

10. बचाव पक्ष की ओर से अपने बचाव के समर्थन में कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष लिपिबद्ध नहीं कराया गया है।

11. **अभियोजन साक्षी संख्या – 1 :– छोटु कुमार उर्फ अभिषेक कुमार सिंह**, ने अपने मुख्य परीक्षण के क्रम में कथन किया है कि यह घटना वर्ष 2014 की करीब 2–3 बजे दिन की है। उस समय ये अपने गांव भदान में थे और गांव वालों के द्वारा चोर–चोर चिल्लाने का हल्ला सून वह गये तो गांव वालों ने बताया कि 05–06 लोग चोरी के लिए आये थे और एक व्यक्ति पेसा लेकर रास्ते में जा रहे थे तो वे लोग पैसा छीनकर भाग गये। इसने चोर को भागते हुये नहीं देखा था क्योंकि ये बाद में वहॉ पहूॅचे थे।

बचाव पक्ष की ओर से किये गए प्रति–परीक्षण के क्रम में इस साक्षी ने कथन किया है कि इस साक्षी ने अपनी ऑखों से कोई घटना नहीं देखा और जो बयान न्यायालय में दे रहे हैं वह गांव वालों के द्वारा बताये हुये बातों के आधर पर दिया है और घटना के बारे में बताने वाले का नाम नहीं जानते।

12. **अभियोजन साक्षी संख्या – 2 :– कन्हैया कुमार सिंह**, ने अपने मुख्य परीक्षण के क्रम में कथन किया है कि इस घटना के बारे में ये सुने थे। यह घटना 10–12 साल पहले की है और उस समय ये घर पर थे तो सुने की रोड पर छिनछोर हो रहा था। ये घटना स्थल पर नहीं गये थे। पुलिस इनका बयान नहीं ली थी।

अभियोजन के प्रार्थना पर साक्षी को न्यायालय के द्वारा पक्षद्रोहि घोषित किया गया तथा साक्षी ने प्रति परीक्षण के दौरान अभियोजन के कथन को अस्वीकार किया है और अभियोजन कोई भी तथ्य अपने पक्ष में न्यायालय के समक्ष नहीं ला पायी। साक्षी न्यायालय के समक्ष उपस्थित अभियुक्त भरत साव को ये नहीं पहचानते है।

बचाव पक्ष की ओर से किये गए प्रति–परीक्षण के क्रम में इस साक्षी ने कथन किया है कि घटना के समय ये पढ़ाई लिखाई करते थे।

13. **अभियोजन साक्षी संख्या – 3 :– सत्येन्द्र कुमार सिंह**, ने अपने मुख्य परीक्षण के क्रम में कथन किया है कि इस घटना के बारे में ये सुने थे। यह घटना 12 साल पहले की है। इसने सुना

था कि रोड पर छिनछोरी हुआ था। घटना स्थल पर ये नहीं गये थे। पुलिस इनका बयान नहीं लिया था।

अभियोजन के प्रार्थना पर साक्षी को न्यायालय के द्वारा पक्षद्रोहि घोषित किया गया तथा साक्षी ने प्रति परीक्षण के दौरान अभियोजन के कथन को अस्वीकार किया है और अभियोजन कोई भी तथ्य अपने पक्ष में न्यायालय के समक्ष नहीं ला पायी। साक्षी न्यायालय के समक्ष उपस्थित अभियुक्त भरत साव को ये नहीं पहचानते।

बचाव पक्ष की ओर से किये गए प्रति–परीक्षण के क्रम में इस साक्षी ने कथन किया है कि जिस गांव में ये रहते हैं वह गांव लगभग 200–250 घर की बस्ती है।

14. **अभियोजन साक्षी संख्या – 4 :– गोरेलाल यादव**, ने अपने मुख्य परीक्षण के क्रम में कथन किया है कि घटना दिनांक 12.02.2014 को करीब 02 बजे के बाद की है। उस समय ये मानपुर ब्रांच से अशोक जी के साथ ग्राहक सेवा केंन्द्र, बरतारा जा रहे थे और इनके पास 8000/– रूपया था और अशोक जी के पास एक लाख अस्सी हजार रूपया था। इनके पास एक मोबाईल था जिसका नम्बर 9973483394 था। जब येलोग पैसा लेकर आ रहे थे तो दो मोटरसाईकिल सवार चार आदमी भदान रोड के पास छोटा पिस्टल दिखाकर इनका कॉलर पकड़ लिया और रोड के निचे ले गया और एक फैट मारा और इनके पैकेट से 8000/– रूपया और इनका मोबाइल निकाल लिया तथा अशोक जी से एक लाख पैसठ हजार रूपया ले लिया। अशोक के साथ मारपीट नहीं हुआ था। यह अभियुक्त को नहीं पहचन पाया क्योंकि वे लोग मुंह पर अंगोछा/गमछी बांधे हुये थे और ठंडा का समय था। प्राथमिकी आवेदन अशोक जी ने लिखा था जिसपर ये और अशोक जी ने हस्ताक्षर किया था जिसे इनके पहचान पर प्रदर्शः–1 अंकित किया गया।

बचाव पक्ष की ओर से किये गए प्रति–परीक्षण के क्रम में इस साक्षी ने कथन किया है कि अशोक जी के लिखावट का नमूना इनके पास नहीं है लेकिन प्राथमिकी आवेदन इनके सामने लिखे थे एवं हस्ताक्षर भी किये थे। मोबाईल का आई0 ई0 एम0 आई0 नंबर इन्हे याद नहीं है। एक लाख अस्सी हजार रूपया निकाले जाने का प्रमाण आज इनके पास नहीं लेकिन खाते का स्टेटमेंट से निकल जायेगा। आठ हजार रूपये इनके पैकेट में था उसके संबंध में इनके पास कोई प्रमाण नहीं है।

15. **अभियोजन साक्षी संख्या – 5 :– अशोक कुमार**, ने अपने मुख्य परीक्षण के क्रम में कथन किया है कि घटना वर्ष 2014 की है। उस समय ये एस0 बी0 आई0 बैंक का सी0 एस0 पी0 ब्रांच चलाते थे। ये मानपुर ब्रांच से पैसा लेकर आ रहे थे तो भदान मोड़ के पास पहॅचे तो कुछ अज्ञात लोग मोटरसाईकिल से आये और इन्हे और इनके साथ रहे गोरेलाल के साथ मारपीट किया और एक लाख छेहत्तर हजार रूपया छिन लिया इसके बाद ये लोग थाना फोन किया तो पुलिस आयी। इसने हीं यह केस किया है। प्राथमिकी आवेदन इनके लिखावट एवं हस्ताक्षर में है जो पूर्व से प्रदर्शः–1 अंकित है। छिनतई करने वालों को नहीं पहचानते थे। मुदालय को देखकर नहीं पहचान सकते है। बाद में इन्हे जानकारी नहीं हुयी कि किसने छिना थ। छिनतई करने वाले लोग 20–25 के उम्र के छः लोग थे और वे लोग मुंह पर कपड़ा बांधे हुये थे।

बचाव पक्ष की ओर से किये गए प्रति–परीक्षण के क्रम में इस साक्षी ने कथन किया है कि मानुपर ब्रांच से जिस खाते से पैसा निकाले थे उसका खाता नम्बर 32147276022 है। मुदालय लोग जिस मोटरसाईकिल से आये थे उसका निबंधन संख्या नहीं बता सकते।

16. उभयपक्षों द्वारा अपने पक्ष में दिये गये साक्ष्यों का सम्पूर्ण एवं सारगर्भित अवलोकन करने के पश्चात् उभयपक्ष द्वारा अपने–अपने पक्ष में प्रस्तुत किये गये तर्कों का संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण न्यायिक रूप से अपेक्षित है। अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री नरेन्द्र प्रसाद गुप्ता अपने पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हुये कथन करते है कि अभियोजन द्वारा अपने

मामले को स्थापित करने हेतु कुल पॉच साक्षीयों का साक्ष्य कराया गया है। जिसमें अभियोजन साक्षी संख्या–5 सह सूचक ने अपने साक्ष्य में घटना का पूर्ण समर्थन किया है और कहा है कि घटना वर्ष 2014 की है और उस समय ये एस0 बी0 आई0 बैंक का सी0 एस0 पी0 ब्रांच चलाता था और मानपुर ब्रांच से पैसा लेकर आ रहे थे तो भदान मोड़ के पा अज्ञात लोगों द्वारा इनका एक लाख छेहत्तर हजार रूपया छिन लिया। प्राथमिक आवेदन को पहचान किया जो इनके लिखावट एवं हस्ताक्षर में है जो पूर्व प्रदर्शः–1 अंकित किया गया। साक्षी सं0 4 गोरेलाल यादव ने भी साक्ष्य के दौरान कहा है कि दिनांक 12.02.2014 को समय करीब 02 बजे सूचक अशोक जी के साथ बरतारा जा रहे थे तो दो मोटरसाईकिल पर चार लोग सवार थे उन्होने ने भदान मोड़ के पास पिस्टल दिखाकर इनका आठ हजार रूपया एवं मोबाईल तथां अशोक जी का एक लाख पैंसठ हजार रूपया छिन लिया। साक्षी सं0 1 ने भी साक्ष्य के दौरान कहा है कि वर्ष 2014 में समय करीब 2–3 बजे दिन में भदान के पास पॉच छः लोग थे जो एक व्यक्ति जो पैसा लेकर जा रहे थे उनसे छिन लिया है और भाग गया है। साक्षी सं0 2 एवं 3 ने भी कहा है कि घटना 10–12 साल पहले की है और इसने सुना था कि पैसे की छिनछोरी हुयी थी। इन्हीं सभी तर्कों के आधार पर अभियोजन द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराध के लिए दोषसिद्धि करने का निवेदन किया गया।

17. वही दूसरी ओर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियोजन के प्रस्तुत साक्षी सं0 5 सूचक श्री अशोक कुमार एवं साक्षी सं0 4 गोरे लाल यादव ने अपने मुख्य परीक्षण के दौरान घटना का समर्थन किया है और कहा है कि इन दोनों से कुल एक लाख छेहत्र हजार रूपया की लुट किया गया था परन्तु इन दोनों पिड़ित ने यह नहीं कहा है कि पैसा किनके द्वारा छिना गया था तथा मुदालय की पहचान नहीं किया है और कहा है कि छिनछोर करने वाले व्यक्ति मुंह पर गमछा बांधे हुये थे। साक्षी सं0 1, 2 एवं 3 ने कहा है कि ये सुने थे कि एक व्यक्ति पैसा लेकर जा रहा था जिससे कुछ लोगों ने पैसा छिन लिया है। परन्तु किसी भी साक्षी ने इन अभियुक्तों की पहचान नहीं किया है और किसी ने घटना में इनलोगों की संलिप्तता नहीं बतायी है तथा यह भी बताया है कि लूट करने वाले लोग मुंह ढके हुये थे इसलिए पहचान नहीं पाये। इस वाद में अनुसंधानकर्ता साक्षी को अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इन्हीं सभी तथ्यों के आधार पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता तर्क देते है कि अभियोजन अभियुक्त भरत साव के संबंध में मामले युक्ति–युक्त संदेह के परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त भरत साव को दोषमुक्त किया जाय।

18. उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया, अवलोकनोपरांत न्यायालय यह पाती है की अभियोजन की ओर से अपने मामले को स्थापित करने हेतु कुल 5 साक्षीयों का साक्ष्य न्यायालय के समक्ष कराया गया है। जिसमें से अभियोजन साक्षी सं0 5 सूचक साक्षी हैं। इन्होने अपने मुख्य परीक्षण के दौरान यह कहा है कि घटना वर्ष 2014 की है। उस समय यह साक्षी एस0 बी0 आई0 बैंक का सी0 एस0 पी0 ब्रांच चलाता था तथा घटना के दिन यह साक्षी मानपुर ब्रांच से पैसा लेकर आ रहा था तो जैसे हीं भदान मोड़ के पास पहॅूचा तो वैसे हीं कुछ अज्ञात लोग मोटरसाईकिल से आये और साक्षी तथा इसके साथ रहे गोरे लाल के साथ मारपीट किया और एक लाख छेहत्तर हजार छिन लिया। इस साक्षी ने प्राथमिकी आवेदन पर अपने लिखावट एवं हस्ताक्षर को पहचान कर प्रदर्शः–1 अंकित कराया है। आगे यह साक्षी अपने मुख्य परीक्षण की कंडिका 1 में हीं कहा है कि अभियुक्त को देखकर नहीं पहचान सकता है क्योंकि वे लोग मुंह पर कपड़ा बांधे हुये थे। इस साक्षी को बाद में भी जानकारी नहीं हुयी कि किसने पैसे की छिन छोर किया है। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 3 में कहा है कि अभियुक्तगण जिस मोटरसाईकिल से आये थे उसका निबंधन संख्या वह नहीं बता सकता है। अभियोजन साक्षी सं0 4 इस घटना का चछुदर्शी साक्षी है, इस साक्षी ने भी प्रदर्शः–1 के अनुसार अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना दिनांक 12.02.2014 को 2 बजे बाद की है। उस समय यह साक्षी मानपुर ब्रांच से अशोक जी (अभियोजन

साक्षी सं0 5 सह सूचक) के साथ ग्राहक सेवा केन्द्र, बरतारा जा रहे थे, इस साक्षी के पास आठ हजार रूपया एवं एक मोबाईल था और अशोक जी के पास एक लाख अस्सी हजार रूपया था। इस साक्षी ने आगे यह कहा है कि रास्ते में दो मोटरसाईकिल सवार चार लोग भदान मोड़ के पास पिस्टल दिखाकर इस साक्षी का कॉलर पकड़ते हुये नीचे ले गया तथा मारपीट कर आठ हजार रूपया एवं मोबाईल छिन लिया साथ हीं अशोक जी से एक लाख पौंसठ हजार रूपया ले लिया। इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण के कंडिका 2 में कहा है कि यह साक्षी अभियुक्तगण को नहीं पहचान पाया क्योंकि ठंडा का समय था और अभियुक्तगण मुंह में गमछा बांधे हुये थे। इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण की कंडिका 7 में कहा है कि इसके पास से जो आठ हजार रूपया निकाले गये थे, उसके संबंध में कोई प्रमाण नहीं है। अभियोजन साक्षी सं0 1 छोटु कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में अनुश्रुत साक्षी के रूप में घटना का समर्थन करते हुये कथन किया है कि यह घटना वर्ष 2014 को करीब 2–3 बजे दिन की है, उस समय यह साक्षी अपने गांव भदान में था तो गांव वालों के द्वारा चोर–चोर चिल्लाने की हल्ला सुनकर घटना स्थल पर गया तो गांव वालों ने बताया कि एक व्यक्ति से पॉच–छः लोग पैसा छिनकर भाग गये। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण की कंडिका 1 में कहा है कि यह साक्षी चोरों को भागते हुये नहीं देखा था क्योंकि वह घटना स्थल पर घटना के बाद पहूॅचा था तथा इसने अपने प्रति परीक्षण की कंडिका 3 में कहा है कि न्यायालय में जो भी बयान दिया है वह गांव वालों के द्वारा बताये गये बात के अनुसार दिया है। अभियोजन साक्षी सं0 2 एवं 3 ने अपने–अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि यह साक्षी घटना स्थल पर नहीं गये थे तथा पुलिस में इनका बयान नहीं हुआ था। अभियोजन द्वारा इन दोनों साक्षीयों को न्यायालय से पक्षद्रोही घोषित कराकर इनसे सूचक प्रश्न किया गया परन्तु अभियोजन इन दोनों में साक्षीयों से अपने पक्ष में कोई भी तथ्य लाने में सफल नहीं हुआ है। अभियोजन द्वारा इस मामले के अनुसंधानकर्ता की गवाही नहीं करायी गयी है। चुकि किसी भी साक्षी ने अभियुक्त का नाम घटना में संलिप्तता के संदर्भ में नहीं लिया गया है इसलिए अनुसंधानकर्ता का साक्ष्य इस मामले में महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है।

इस प्रकार अभियोजन अभियुक्त भरत साव के विरूद्ध लगाए गए आरोप अन्तर्गत धारा–395 एवं 412 भा0 द0 वि0 को युक्ति–युक्त संदेहों के परे साबित करने में पुरी तरह से असफल रहा है।

<u>आदेश</u>

19. चूंकि अभियोजन अभियुक्त भरत साव के विरूद्ध आरोपित आरोप को युक्ति–युक्त संदेहों के परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त भरत साव को धारा–395 एवं 412 भा0 द0 वि0 के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त भरत साव पूर्व से जमानत पर हैं, अतः उनके जमानतदारों को बन्ध पत्र के दायित्वों से मुक्त किया जाता है।

कार्यालय इस निर्णय की एक प्रति विशेष लोक अभियोजक के माध्यम से जिलाधिकारी, गया को भेजें एवं नियामानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में निक्षेपित करें।

लेखापित एवं शुद्धीकृत

(निर्णय खूले न्यायालय में सुनाया गया)

ह0/–
(शशि कांत ओझा)
अपर सत्र न्यायाधीश –I
गया।
दिनांक :–20.04.2026

लेखापित

ह0/–
(शशि कांत ओझा)
अपर सत्र न्यायाधीश –I
गया।
दिनांक :–20.04.2026